


**माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० नं० 194/2019
Resident of Village Yaqubpur, Sector-86, Noida V/s State of Uttar Pradesh में
दिनांक 15.04.2019 को दिये गये आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही का विवरण:-**

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त वाणिज्यिक वाद में दिये गये आदेश के अनुपालन में दिनांक 01.08.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा स्थलीय जांच की गयी। स्थल के आस पास के दुकानदारों द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.04.2019 को ग्राम याकूबपुर के दुकानदारों ने खाली प्लॉट में एकत्रित पॉलीथीन में आग लगा दी थी जिसे नोएडा प्राधिकरण द्वारा तत्काल बुझा दिया गया था। नोएडा प्राधिकरण द्वारा दुकानदारों पर पॉलीथीन के दुरुपयोग के एवज में ₹० 6,000.00 का जुर्माना लगाते हुये हिदायत दी गयी थी कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो एवं जनमानस एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अवगत कराना है कि नोएडा अथारिटी द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक के उपयोग करने वाले दुकानदारों व प्रतिबन्धित प्लास्टिक के गोदामों के मालिकों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाया जाता है तथा इस प्रकार के दुकानदारों, गोदामों के मालिकों अथवा प्रयोगकर्ताओं के विरुद्ध आर्थिक दण्ड आरोपित किया जाता है। दिनांक 25.01.2018 से दिनांक 11.07.2019 तक कुल 2724 व्यक्तियों के विरुद्ध ₹० 28,05,240/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया एवं 695.8 किग्रा० प्रतिबन्धित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गयी।

वर्तमान में उक्त स्थल पर कूड़े आदि की सफाई करा दी गयी है। जिसके फोटोग्राफ संलग्न हैं। अब स्थल पर पॉलीथीन मिश्रित व अन्य कूड़ा नहीं है। उक्त स्थल के आस पास के दुकानदारों व निवासियों को निर्देशित कर दिया गया है कि उक्त स्थल पर कूड़ा इत्यादि न फेंके तथा कूड़े को न जलायें।


01-08-19
(कृष्ण मोहन श्रीवास्तव)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नोएडा


01/08/2019
(ब्रह्मपाल सिंह)
प्रबन्धक (सिविल)
जनस्वास्थ्य-2
नोएडा

कार्यालय परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)

खण्ड -द्वितीय, सैक्टर-39, नौएडा ।

पत्र संख्या: नौएडा/प0अ0(जन स्वा0-11)/2019/306

दिनांक 16/5/19

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-12/1, सैक्टर-1,
नौएडा ।

विषय:- पॉलीथीन जलाकर पर्यावरण को दूषित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र ।

संदर्भ:- संख्या: 1237/सा0पमा0-07/2019 दिनांक 19/01/2019

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से ग्राम याकूबपुर, सैक्टर-86, नौएडा में कुछ दुकानदारों द्वारा पॉलीथीन जलाये जाने से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है । उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम याकूबपुर में पॉलीथीन प्रयोग कर रहे दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए ₹ 6000/- का जुर्माना लगाया गया है । रसिद की छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

(आर0 के0 जैन)
परियोजना अभियन्ता
(जन स्वा0)-11
नौएडा ।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर0के0एम0) महोदय के अवलोकनार्थ ।
2. विशेष कार्याधिकारी (आर) महोदय के अवलोकनार्थ ।
3. सहा0 परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)-11 को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. श्री राकेश कुमार, प्रभारी स्वा0 निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

परियोजना अभियन्ता
(जन स्वा0)-11
नौएडा ।

नियम, शर्तें एवं जुर्माना

प्रथम बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 5000/-

द्वितीय बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 10000/-

तृतीय बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 15000/-

चौथी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 20000/-

पंचम बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 25000/-

छठी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 30000/-

सातवीं बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 35000/-

आठवीं बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 40000/-

नौवीं बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 45000/-

दसवीं बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 50000/-

ग्यारहवीं बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 55000/-

बारहवीं बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 60000/-

तेरहवीं बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 65000/-

पंद्रहवीं बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 70000/-

सत्रहवीं बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 75000/-

बीसवीं बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 80000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 85000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 90000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 95000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 100000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 105000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 110000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 115000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 120000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 125000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 130000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 135000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 140000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 145000/-

इसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना रु. 150000/-

NOIDA

Noida Industrial Development Authority

जुर्माने की रसीद

13745

दिनांक: 7/5/19

एल.पल सिंह

का नाम एन. सिंह

आ. 3046 Sec 3 Noida

का स्थल उपरोक्त

एन. सिंह न. यु. ल.

कार्यवाही 2000/- (दो हजार रुपये)

उपरोक्त जुर्माना राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) के निर्देशों के क्रम में किया जा रहा है।

पुलिस निरीक्षक/तपनिरीक्षक, अवर अभियन्ता/स्वास्थ्य निरीक्षक

[Signature]

नियम, शर्तें एवं जुर्माना

1. प्लास्टिक व कूड़ा जलाने पर जुर्माना रु 5000/-
2. कूड़ेदान की व्यवस्था न करने व अवांशित खाद्य सामग्री एवं पत्तल आदि कूड़ेदान में न डालने पर :-
 - (a) प्रथम बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु 500/-
 - (b) द्वितीय बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु 1000/-
 - (c) तृतीय बार उल्लंघन करने पर जुर्माना रु 1500/-
 - (d) चौथी बार उल्लंघन करने पर रेहड़ी, खोमवे को जलत क पाधिकरण क्षेत्र में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जा
3. उपरोक्तानुसार संग्रहीत धनराशि पर्यावरण सुधार हेतु खोल ज वाले खाते में जमा करायी जाएगी।
4. गौंके पर जुर्माना न देने पर रेहड़ी, खोमवे या ताहन जलत क नियमानुसार जोएडा के गौदाम में जमा करायी जाएगी।

NOIDA

Industrial Development Authority

गाने की रसीद

दिनांक: 7/5/19

746

आगत

पुनः व्यय

Sec 83 Noida

आगत

गौंदरी व व्युत्पन्न

क/उपनिरीक्षक (10/10/19)

राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) के निर्देशों के क्रम में किया जा रहा है।

क/उपनिरीक्षक, अवर अभियन्ता/स्वास्थ्य निरीक्षक

विनायक शर्मा एवं जु...

दिनांक

दिनांक 7/5/19

रविवर पाल

जावे सिंह

मकान नं. 83 नो 45

...

...

...

...

निरीक्षक, अवर अभियन्ता/स्वास्थ्य निरीक्षक

